SHRI B. N. SHASTRI : May I know whether the Government of India recognise indirectly, if not directly, and by implication, the Federal Government of Naga People ? If not, may I know whether they will issue instructions not to mention this name "Federal Government of Naga People" in the official and non-official papers ?

SHRI Y. B. CHAVAN : There is no question of recognising any government of this type. But in references, in order to point out a certain organisation, we may use those words. That does not mean recognition.

**हज यात्रियों द्वारा विदेशों से लायी गयी डायना बन्दूकें (डायना गन्स)**

+

*425. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

**श्री वि० ब० सिंह :**

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर 1968 के 'आर्गेनाइजर' में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि हज यात्री प्रति वर्ष अपने साथ विदेशों से हजारों डायना बन्दूकें भारत ले आते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख) . एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शस्त्र अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत इस तरह की बन्दूकें हवाई राइफलों की श्रेणी में आती है और इसलिये इस देश में ऐसी बन्दूकों का आयात तथा उनकों रखना इत्यादि उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन होता है । हवाई राइफलों की छूट दी हुई किस्मों के रखने, बिक्री आदि पर किसी प्रतिबन्ध के लिये शस्त्र अधिनियम तथा नियमों में व्यवस्था नहीं है । छूट दी गई हवाई बन्दूकों की किस्मों में मार करने की शक्ति कम होती है और उनमें मानव प्राणी को मारने की सामर्थ्य नहीं होती है ; और उनका उपयोग केवल छोटे आखेत तथा निशाने के अभ्यास के लिये किया जाता है ; और ऐसी हवाई बन्दूकें जो निर्धारित परीक्षण की शर्तों को पूरा नहीं करती, अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस की समस्त आवश्यकताओं के अधीन होगी ।

डायना बन्दूकों का, इस देश में लाइ जाने पर, स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा विधिवत् निरीक्षण किया जाता है और मालिक को वापिस देने से पहले एक अनापत्ति प्रमाण पत्र से आवृत किया जाता है । इसे दृष्टि में रखते हुए खतरे की कोई आशंका नही है ।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** विवरण से यह साफ है कि विदेशों में जाने वाले भारतीय डायन बन्दूक ला सकते हैं, और अभी जो कानून है उसके अन्तर्गत इस बन्दूक के लाने पर कोई रोक नहीं है । विवरण में यह भी कहा गया है कि यह बन्दूक खतरनाक नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि अगर डायना बन्दूक कनपटी में लगा कर चलाई जाय तो वह घातक हो सकती है । क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि लखनऊ में एक हत्या में डायना बन्दूक का उपयोग हो चुका है, और जिसके ऊपर डायना बन्दूक चलाई गई थी उसकी मृत्यु हो गई ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल :** माननीय सदस्य शायद डा० हरी गोतम की हत्या के बारे में यहां कह रहे हैं इसके बारे में मैंने सी० बी० आई० के द्वारा पता लगाया था कि किस तरह की बन्दूक का उपयोग उनकी हत्या के लिये किया गया था । उत्तर प्रदेश की सी० आई० डी और यहां की सी० बी० आई०

दोनों ने इस बात की रिपोर्ट की है कि जिस बन्दूक के द्वारा उनकी हत्या की गई थी वह 20 गेज की थी। डायना बन्दूक से उनकी हत्या नहीं की गई, न उस बन्दूक का उन की हत्या करने में कोई उपयोग किया गया।

जहां तक इस बात का सवाल है कि इस तरह की एअर राइफल से मनुष्य की मृत्य हो हो सकती है या नहीं, तो इस के बारे में आर्म्स रूल में एक टेस्ट प्रेस्क्राइब्ड है। जो राइफल उस टेस्ट में सफल हो जाती है उस के लिये यह कहा जाता है कि उससे तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, लेकिन जो उस टेस्ट में सफल नहीं उतरती उससे मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती यदि आप अनुमति दें तो मैं जो टेस्ट है उसको पढ़ कर सुना देता हूं। चूंकि यह अंग्रेजी में लिखा है इस लिये मैं उसी में इस को पढ़ता हूं :

> "Projectiles discharged from such guns or pistols do not perforate a target 12" square formed by deal-wood boards of even grain, free from knots, planed on both sides and of thickness 2" or 1" for air pistols and air guns/rifles respectively."

SHRI HEM BARUA : Diana is the name of a pretty woman. How can you associate guns with Diana ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जब यह बन्दूक कोई भी भारतीय नागरिक लाता है तो पुलिस अधिकारियों द्वारा इस बात की जांच कर ली जाती है कि उस पर वह टेस्ट लागू हुआ है या नहीं। उस समय उनकी जांच करने के बाद ही उन्हें दी जाती हैं। यदि कभी ऐसा पाया जाता है कि वह इस टेस्ट से ज्यादा मजबूत है और उसमें ज्यादा ताकत है तो उन्हें उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस लिये वह नहीं पा सकेंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जो बन्दूकें लाई जाती हैं उनकी जांच हवाई अड्डे पर होती है या बन्दरगाह पर होती है। जो विवरण रखा गया है उससे यही स्पष्ट होता है कि स्थानीय पुलिस उसकी जांच करती है।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हर एक बन्दरगाह पर या हर एक हवाई अड्डे पर पुलिस वाले रहते हैं जो इस चीज की जांच करते है। कस्टम के साथ-साथ वहां पर पुलिस का इन्तजाम रहता है। जो भी बन्दूक लाई जाती है कस्टम वाले पुलिस वालों को उस के बारे पूछ-ताछ करने के लिए देते हैं। पुलिस वाले उसकी जांच करते हैं और लिखित रूप में सर्टीफिकेट देते हैं कि यह बन्दूक ऐसी हैं जिसके लाइसेंस के जरूरत नहीं है। तभी कस्टम वाले बाहर आने देते हैं।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : हज और बन्दूक का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि अभी तक कितनी डायना बन्दूकें भारत में आई हैं, कितनी आपत्तिजनक पाई गई और कितनों को प्रमाण-पत्र दिया गया। क्या भविष्य में सरकार उन को भारत में लाने पर रोक लगाने का विचार कर रही है ? यह बन्दूक घातक सिद्ध हो सकती है और इस तरह की घटनायें हो चुकी हैं ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैंने पहले ही कहा कि ऐसी बन्दूकें लाई जाती हैं बिना लाईसेंस के और वह घातक नहीं हैं। जहां तक इस का सवाल है कि कितनी बन्दूकें आई हैं इस का पिछले तीन साल का विवरण मैं देना चाहता हूं : 1966 में 15,300 हज यात्री बाहर गये और उन में से 498 इस तरह की बन्दूकें लाये, 1967 में 15,200 हज यात्री बाहर गये और उन में से 212 इस तरह की बन्दूकें लाये और 1968 में 15,000 यात्री बाहर गये और उन में 1341 इस तरह की बन्दूकें लाये।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बन्दूकें घातक हो सकती हैं, क्या सरकार उन के आने पर रोक लगाने का विचार कर रही है ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैंने तो कहा कि यह बन्दूकें घातक नहीं हो सकती है इसलिये रोक लगाने का कोई सवाल नहीं है ।

**श्री जगन्नाथ जोशी** : मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि जो हज यात्री गये उन में से 500, 200 और 1000 यात्री इस तरह की बन्दूकें लाये । जो यात्री बाहर जाते हैं वह वापस आते हुए एक आध बन्दूकें लाये तब तो यह बात समझ में आ सकती है, एक परिवार में भी एक आ जाये तब भी कोई बात नहीं है, किन्तु जो हज यात्री जाते हैं वह एक एक हजार बन्दूक ले कर आते हैं तो वह उन का क्या करते हैं ? जब भी वह लाते हैं तब ऐसी न्यूज आती है कि वे मिस्टीरिअसली डिसएपियर ऐंड गो समव्हेअर । क्या मन्त्री महोदय ने इस का पता लगाने की कोशिश की है कि उन का क्या हुआ और इसकी जाँच में क्या निकला ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जो भी इस तरह की बन्दूकें लाई जाती हैं उनके लिये लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होती इसलिये यह पता नहीं लगता कि बन्दूक उस आदमी के पास है या उसने किसी को दे दिया । यह मैंने यहां साफ कर दिया है कि चूंकि उससे किसी मनुष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं है और किसी को मारा नहीं जा सकता इसलिये उस पर लाइसेंस नहीं लगता ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : यह गलत है ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : उस के बाद वहीं पर भी वह बन्दूक जाती है, उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं होती है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मन्त्री महोदय ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं ।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी** : मन्त्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि जो लोग वहां से लौटते हैं वह अपने साथ बन्दूकें लाते हैं और उसमें हर वर्ष वृद्धि होती जाती है । जो लोग हज के लिये जाते हैं वह शांति और धार्मिक प्रवृत्ति से जाते हैं । मैं जानना चाहती हूं कि धार्मिक प्रवृति और बन्दूक लाने में सामंजस्य कैसे हैं ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : यह कोई बात नहीं है कि जो लोग हज के लिये जाते है वही बन्दूक लाते हैं, जो लोग हज के लिये नहीं जाते हैं वह भी इस तरह की बन्दूकें लाते होंगे, और लाते हैं ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : लाते होंगे ।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं यह कहना चाहता हूं कि हज के साथ बन्दूक का जोड़ना निश्चय ही ठीक बात नहीं है ।

**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि यह बन्दूकें कम से कम आदमी को घायल करने या आतंक दिलाने के लिये पर्याप्त तो है ही, इसलिये इस खतरनाक हालत को देखते हुए क्या शांति और सुरक्षा के लिये सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस बन्दूक पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : घायल करने के लिये पत्थर भी काफी होता है, लेकिन इसके यह मतलब नहीं है कि पत्थर पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । इस तरह की बन्दूक की सावधानी के साथ जांच की गई है और देखा गया है कि इससे मनुष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं है । इसलिये इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

**श्री कमल नयन बजाज** : मन्त्री महोदय से यह जानकर खुशी हुई है कि इन बन्दूकों के

द्वारा मनुष्य के घायल होने का कोई खतरा नहीं है । मैं इसका यह मतलब समझता हूं कि अगर कोई किसी को मारना चाहे तो वह इस बन्दूक पर भरोसा रख कर उस का खून करने के लिये इसका प्रयोग नहीं करेगा । लेकिन ऐक्सिडेंटली किसी मर्म स्थान पर गोली लगने से तो वह मर ही सकता है । क्या इस चीज का खयाल रक्खा जायेगा ।

दूसरी बात यह है कि यदि किसी खास स्पोर्टस लिए लोग लाते हैं तो सभी जगह जाने वाले लोग भी लायेंगे । लेकिन विशेष जगह से जा कर यदि लोग लाते है तो उस पर विचार कुछ किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य का जीवन लेना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है । वह तो बहुत सी चीजों से लिया जा सकता है । इस तरह की बन्दूक से उसका जीवन लिया जा सकता है या नहीं, इसके लिए एक टैस्ट प्रेसक्राइब किया गया है और उसके अनुसार इस बात को निर्धारित किया गया है कि इससे उसकी जान नहीं ली जा सकती है । लेकिन यहां खड़ा हो कर मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यदि आंख पर निशाना लगा कर मारा जाए तो दिमाग तक छर्रा पहुंचेगा या नहीं । लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से टैस्ट प्रेसक्राइब किया है उसके अनुसार यह बिल्कुल सही है कि इस बन्दूक के उपयोग से मनुष्य की जान नहीं ली जा सकती है । यदि कुछ लोग वहां से इस तरह की बन्दूक लाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको वे गलत ढंग से उपयोग करने के लिए लाते हैं । इस तरह का शक किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह शक करना ठीक नहीं है ।

SHRI A. SREEDHARAN : People who go abroad, whether they are Hajis or not, bring Diana guns to India. I come from a State from where large number of people go for Haj pilgrimage. I have seen them bringing Diana guns and giving them to their children or teenage boys for bird shooting. This question is asked here with a communal slant as to why Hajis are bringing guns to India. I would like to ask the Government whether they would make a categorical declaration that they do not differentiate between Hajis, non-Hajis and people belonging to different communities in the matter of bringing Diana guns.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This kind of a declaration is not necessary because it is inherent, but if the hon. Member wants, I will say it categorically that we do not differentiate between people who come from a particular place and those who come from other places, who bring such guns and they are not required to be licensed under the Arms Act.

SHRI KARTIK ORAON : 'Guns' and 'not being dangerous', these two things do not go together. I really cannot understand how guns cannot be dangerous. They may be dangerous in more or less degree. A gun may be able to injure or it may be able to kill ; but definitely a gun could be made dangerous. I would like to know from Government whether they have taken all reasonable steps to see that they can never, at any stage, either by addition or by modification, be made dangerous.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already indicated the test that we have prescribed to see that these guns are classified as non-dangerous.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : सवाल का जवाब आंशिक मिला है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस गन की बात हो रही है उस गन से गोली चलाई जा सकती है या नहीं ? अगर गोली चलाई जा सकती है और धर्म के स्थान से इसको लाया जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि धर्म पर अगर कोई आक्रमण होगा तो डिफेंसिव शक्ति जो है उसके वास्ते क्या उनकी इन गंज को लाने के लिए इजाजत दी जाती है क्या ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल :** इस बन्दूक में केवल छर्रा ही रहता है। बारूद का उपयोग नहीं होता है। केवल हवा से छर्रा चलाया जाता है।

SHRI NARENDRA KUMAR SALVE : I know and the House knows that the hon. Minister has profound knowledge about weapons. He has stated that a Diana gun cannot kill a human being. I would like to know from him whether in giving this answer he has been aware of the fact that human beings have skins of different thicknesses. What happens in cases where a person does not have a thick skin, whether even in such a case a Diana gun is safe ?

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : Will the Minister be pleased to state the action taken by Government to check communal propaganda being carried out by the *Organiser* which has become the biggest source of danger to communal harmony in this country ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This news item about Diana Guns being brought by Hajis was published in the *Organiser* but it did not admit of any legal action to be taken against them.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You have confirmed the report.

**शिक्षा प्रणाली में मूल परिवर्तन**

*426. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा प्रणाली में मूल परिवर्तन लाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार ग्यारहवीं कक्षा तक शिक्षा पूरी हो जायेगी उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी कोई भी तकनीकी या विशेष कोर्स करेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेर सिंह) :** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

**शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन**

शिक्षा आयोग ने शिक्षा के माध्यमिक स्तर को दो भागों में अर्थात निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में विभाजित करने की सिफारिश की थी।

प्राथमिक शिक्षा तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा दोनों, स्कूल की शिक्षा के प्रथम दस वर्ष होने चाहिएं और इसमें सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

कक्षा दस के अन्त में विशाखन प्रारम्भ होना चाहिए। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा के इच्छुक हों, वे कक्षा 11 और 12 में विशेष आम शिक्षा जारी रख सकते है। किंतु इस स्तर पर कम से कम आधे विद्यार्थियों को आवधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर मोड़ देना चाहिए, जिससे वे जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में दाखिल हो सकें। इन पाठ्यक्रमों की अवधि उनके प्रयोजनों के अनुसार एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष होनी चाहिए। कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध कला तथा शिल्प कला शिक्षा, सचिवालय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये होने चाहिएं। उनका प्रबन्ध लचीला होना चाहिए, जिसमें संस्थागत प्रबन्धों की व्यापक विविधता के साथ अंशकालिक, पत्राचार तथा पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो।

**श्री महाराज सिंह भारती :** इस समय जो थोड़े बहुत इंजीनियर, ओवरसियर या दूसरे टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त व्यक्ति देश में उपलब्ध हैं, योजना के गड़बड़ाने से उन में बड़ी भारी बेरोजगारी पैदा हो गई हैं और इस बेरोजगारी के कारण आज देश के सभी कालेजों में जहां टैक्नीकल शिक्षा दी जाती है, सीटें घटा दी गई हैं। आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से दसवीं कक्षा के बाद कम से कम पचास प्रतिशत देश के विद्यार्थी बजाय क्लर्क